प्रेस नोट
दिनांक 13.05.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाज अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–922/24, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) भादवि से सम्बन्धित जालसाज अभियुक्त अजय कुमार पुत्र फूलचन्द्र तिवारी नि0 भरथा इटहिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को रोड़वेज बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 13.12.2024 को वादी धनेश्वर प्रसाद सिंह पुत्र स्व. दुःखहरन सिंह, निवासी विष्णुपुरी कॉलोनी, सिविल लाइन, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर में एक लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में वादी ने बताया कि वह जेल रोड स्थित जिला पंचायत गोंडा की दुकान संख्या बी–04 का पंजीकृत किरायेदार है। उक्त दुकान पर अजय कुमार पुत्र फूलचन्द्र तिवारी, निवासी भरथा इटहिया, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, विकास भवन गोण्डा के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम ₹5,00,000 का ऋण स्वीकृत करा लिया है। वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 13.05.2025 को विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अजय कुमार को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. अजय कुमार पुत्र फूलचन्द्र तिवारी नि0 भरथा इटहिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–922/24, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. अ0प्र0नि0 अरविन्द यादव।
02. का0 नरेन्द्र राजपूत।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 13.05.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा लोक सेवक के कार्यों में बाधा डालने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 185/25, धारा 191(2),191(3),190, 221,123,121ए,353,109,352,351(3) बीएनएस व 3(2)क सार्वजरिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तो–01. दुर्गेश प्रताप सिंह उर्फ पिंटू पुत्र श्यामनाथ सिंह नि0 प्रतापपुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा, 02. अरूण प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह नि0 प्रतापपुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 12.05.2025 को थाना कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के चचरी चौकी अंतर्गत ग्राम प्रतापपुर में शीशम के पेड़ो की अवैध कटान की सूचना मिली थी जिस पर चौकी प्रभारी चचरी द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर जाँच की गयी तो घटना सत्य पायी गयी। अवैध कटान कर रहें व्यक्तियों के पास कटान की कोई परमिशन लेटर नहीं थी। जिस पर चौकी प्रभारी द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही थी,जिसमें उक्त व्यक्तियों द्वारा कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न की गई। जिसमें सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्नलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 02 नामजद आरोपी अभियुक्तों–01. दुर्गेश प्रताप सिंह उर्फ पिंटू पुत्र श्यामनाथ सिंह, 02. अरूण प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. दुर्गेश प्रताप सिंह उर्फ पिंटू पुत्र श्यामनाथ सिंह नि0 प्रतापपुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. अरूण प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह नि0 प्रतापपुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–185/25, धारा 191(2),191(3),190, 221,123,121ए,353,109,352,351(3) बीएनएस व 3(2)क सार्वजरिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अ0प्र0नि0 अरविन्द कुमार।
02. उ0नि0 बृजेश कुमार सिंह।
03. हे0का0 अरविन्दर सिंह।
04. का0 सत्येन्द्र कुमार।
05. का0 असगर अली।
06. का0 राहुल कुमार तृतीय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 13.05.2025

थाना कौडिया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला व बलवा करने के 09 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–79/25, धारा 191(2),191(3),190,115(2),109(1) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट से सम्बन्धित 04 आरोपी अभियुक्तों–01. शिवकुमार पाण्डेय पुत्र अमरेश कुमार पाण्डेय, 02. धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र शिवकुमार पाण्डेय, 03. महीप तिवारी पुत्र रामउदार तिवारी निवासीगण असिधा थाना खरगुपुर जनपद गोण्डा, 04. अन्नू तिवारी उर्फ अवधेश कुमार तिवारी पुत्र सुरेन्द्र नाथ तिवारी नि0 आर्यनगर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा तथा मु0अ0सं0–80/25, धारा 191(2),191(3),190,352,109(1),115(2),117(2),324(4),351(3) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 05 आरोपी अभियुक्तों–01. पंकज कुमार सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, 02. विशाल सिंह पुत्र राजू सिंह, 03. जगदम्बा प्रसाद उर्फ जे0पी0 सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, 04. रामेश्वर प्रताप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासीगण जयरामपुरवा मौजा कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा, 05. योगेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह नि0 जेठपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 12.05.2025 को थाना कौड़िया क्षेत्रान्तर्गत आर्यनगर में दो पक्षों के मध्य दुकान के विवाद को लेकर बलवा करते हुए मार–पीट की घटना घटित हुई थी। जिसमें दोनो पक्षों की तहरीर पर थाना कौड़िया में गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना कौड़िया पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रथम पक्ष के 04 आरोपी अभियुक्तों व द्वितीय पक्ष के 05 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

प्रथम पक्ष–

01. शिवकुमार पाण्डेय पुत्र अमरेश कुमार पाण्डेय नि0 असिधा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र शिवकुमार पाण्डेय नि0 असिधा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. महीप तिवारी पुत्र रामउदार तिवारी नि0 असिधा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
04. अन्नू तिवारी उर्फ अवधेश कुमार तिवारी पुत्र सुरेन्द्र नाथ तिवारी नि0 आर्यनगर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

द्वितीय पक्ष–

01. पंकज कुमार सिंह पुत्र अर्जुन सिंह नि0 जयरामपुरवा मौजा कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. विशाल सिंह पुत्र राजू सिंह नि0 जयरामपुरवा मौजा कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
03. जगदम्बा प्रसाद उर्फ जे0पी0 सिंह पुत्र अर्जुन सिंह नि0 जयरामपुरवा मौजा कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

04. रामेश्वर प्रताप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह नि0 जयरामपुरवा मौजा कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
05. योगेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह नि0 जेठपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–79/25, धारा 191(2),191(3),190,115(2),109(1) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–80/25, धारा 191(2),191(3),190,352,109(1),115(2),117(2),324(4),351(3) बी0एन0एस0 थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 अवनीश शुक्ला।
02. का0 पुनीत कुमार सिंह।
03. का0 लवकुश मौर्या।
04. का0 अनिल पटेल।
05. का0 राहुल गुप्ता।
06. का0 श्याम नरायन यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>